



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

Ref.No.DICGC/IOD/1421/मु.निबीप्रगनि.बीपवि.सं. 05.90.200/2014-15

June 20, 2014

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
बीमाकृत बैंक

The Chairman/Managing Director/Chief
Executive Officer
Insured banks

महोदय,
जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में
जमा की गयी राशि को जमाराशियों से छूट

Dear Sir,
Exemption of deposits credited to
Depositor Education and Awareness
Fund

भारत सरकार ने 24 मई 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26ए की उप धारा (1) और (5) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 की स्थापना की गयी है।

The Government of India had notified in the GAZETTE OF INDIA Dated May 24, 2014 the establishment of the Deposit Education and Awareness Fund Scheme, 2014 by Reserve Bank of India under sub-sections (1) and (5) of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949.

2. इस संदर्भ में, आपको यह सूचित किया जाता है कि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में जमा की गयी राशि को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 (1961 का 47) की धारा 2(जी) में दिए गये "जमा" शब्द के अर्थ में न लिए जाने की विशेष छूट दी गई है।

2. In this connection, you are advised that the amount credited to Depositor Education and Awareness Fund have been exempted from the meaning of the term "deposit" as contained in section 2 (g) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961). Notification of the exemption will be published in the Gazette of India shortly.

3. अतः आपको तदनुसार सूचित किया जाता है कि ऐसी जमाराशियों को बैंक की बहियों से जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

दूरभाष : 022-2306 2161 फैक्स: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in


HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008

Tel: 022-2306 2161 Fax: 022-2301 8165, 2301 5662, 2302 1131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

निधि में अंतरित करने के बाद निर्धारणीय जमा राशि में शामिल न करें और उसके फलस्वरूप निक्षेप बीमा प्रिमियम की गणना के लिए गिनती में न लें।

भवदीय,


(डी पानमेई)
उप महा प्रबंधक

3. You are therefore, accordingly advised not to include such deposits after they have been transferred from bank's books to the Depositor Education and Awareness Fund in the Assessable Deposit and consequently for reckoning for Deposit Insurance Premium calculation.

Yours faithfully,


(D.Panmei)
Deputy General Manager